निर्माण IAS

26 April The Hindu An illustrative Case

संदर्भ

आज जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाए गए है तब यह अदालत के सम्मान के लिए गंभीर प्रश्निचन्ह है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों को मुख्य रूप से सम्मान की भावना, निष्पक्ष व नैतिक वैधता तय करते हैं साथ ही न्यायालिका की प्रतिष्ठा को अनुचित न्याय व्यवहार प्रभावित करते हैं। "न्याय सिर्फ किया नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए।"

घटनाक्रम :-

- भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया इस संबंध में मिहला द्वारा आरोप चार मीडिया बेबसाइटों पर तथा 22 जजों को इस आरोप के संबंध में पत्र भेजा गया।
- 2. अगले दिन मुख्य न्यायधीश ने अपनी ही अध्यक्षता में एक पीठ गठित की और इस मामले पर फैसला सुनाया। कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और यह न्यायपालिका को निष्क्रिय करने हेतु लगाए गए थे।1
- 3. इसके बाद यह प्रश्न उठा कि क्या जिस प<mark>र आरोप</mark> लगे हो वहीं अपने केस में जज हो सकता है। अपने ही मामले में कोई कैसे फैसला दे सकता है?
- यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायालय की गरिमा इस बात से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हुई कि अपने ही फैसले में मुख्य न्यायधीश द्वारा अध्यक्षता करके निर्णय दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सार्वजनिक महत्व का बताते हुए मीडिया को विवेक व संयम बरतने के लिए कहा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि- इस फैसले से भी न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित हुई क्योंकि नैतिक विशेषाधिकार का भय दिखाकर मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित किया गया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश 'मास्टर ऑफ रोस्टर' होते है अर्थात् न्यायिक कार्यों के आंवटन और बेंचो के चयन पर निर्विवाद अधिकार होता है यहां तक की उन मामलों में भी जहां हितों का टकराव हों।
- इसी संबं<mark>ध में</mark> लेख मे<mark>ं कहा गया है कि न्याय सिर्फ किया नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ</mark> दिखना भी चाहिए।
- यह न्याय निर्णय प्रा<mark>कृतिक न्याय के सिद्धांत व अनुच्छेद 14 जिसमें सभी व्य</mark>क्ति अदालतों व न्यायाधिकरणों के समक्ष समान होगें प<mark>्रत्येक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा, का उ</mark>ल्लंघन करता दिखाई देता है।
- इस निर्णय के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के लिए 2 बोर्ड गठित किए गए है जो मामले की निष्पक्ष जांच करेगे।
- न्याय के लिए बुनियादी प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए तथा उचित संस्थागत तंत्र बनाकर इस मामले की जांच हों यह मामला सिर्फ भारत के मुख्य न्यायधीश पर नहीं अपितु न्यायालय की अखंडता व सम्मान का प्रश्न हैं, इसलिए जरूरी है की नियत प्रक्रिया के जो सिद्धांत सभी के लिए समान रूप से लागू होते है वे अपने स्वंय पर भी लागू होने चाहिए। यह अदालत की नींव और संविधान की समान सुरक्षा की गांरटी से जुड़ा मामला है।
- प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) न्याय सम्बन्धी एक दर्शन है जो कुछ विधिक मामलों में न्यायपूर्ण या दोषरिहत प्रक्रियाएं निर्धारित करने एवं उन्हे अपनाने के लिये उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त से बहुत निकट सम्बन्ध रखती है।

आम कानून में 'प्राकृतिक न्याय' दो विशिष्ट कानूनी सिद्धांतों को संदर्भित करता है-

- कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायधीश या निर्णायक नहीं रहेगा।
- दूसरे पक्ष की दलील को सुने बिना निर्णय नहीं दिया जायेगा।

निर्माण IAS निर्माण IAS

निर्माण IAS

Uncertain Times

- वर्तमान में भारत अपनी जरूरतों का 83 फीसद कच्चा तेल आयात द्वारा पूरा करता है जिसमें ईरान से 10% कच्चा तेल आयात करता है। 2018-19 में ईरान से 22.86 करोड़ टन तेल आयात किया गया था।

- ऐसे में अमेरिका द्वारा ईरान से तेल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढकर 71.97 डॉलर प्रति बैरल से बढकर 75 डॉलर प्रति बैरल हो गए है।
- इसका सीधा संबंध मांग और आपूर्ति से संबंधित हैं। 'जिसके अनुसार कुछ कच्चे तेल की मांग अधिक होने और उत्पादन में ईरान के रिक्त होने से दाम में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर-

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।
- इससे आयात लागत और चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा जिससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि की संभावना है।
- भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की खोज की जानी चाहिए।
- भारत को वैश्विक अस्थिर तेल बाजार में अप<mark>ने हितों</mark> की रक्षा के लिए आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने और ऊर्जा आपूर्ति के घरेलू स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता होगी साथ ही अक्षय ऊर्ज<mark>ा क्षेत्र</mark> द्वारा वैश्विक बाजार से तेल पर निर्भरता को कम करना चाहिए।

Breaking New Ground (LGBTQ)

- मद्रास हाई कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि हिंदू विवाह कानून के तहत एक 'किन्नर' भी दुल्हन है। दुल्हन शब्द सिर्फ महिलाओं के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- यह निर्णय देश के अधिकांश हिस्सों के लिए **LGBTQ** समुदाय के विवाह उत्तराधिकार और नागरिक अधि कारों की रक्षा के लिए पथ प्रदर्शक है।
- जस्टिंस जीआर स्वामीनाथन ने एक व्यक्ति और एक महिला किन्नर की याचिका पर यह फैसला दिया। दोनों ने पिछले साल अक्टूबर में तूतीकोरिन में शादी की थी, लेकिन अधिकारियों ने उनके विवाह को पंजीकृत करने से इन्कार कर दिया था।
- अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए पंजीकरण विभाग के अधिकारियों को उनकी शादी के पंजीकरण का आदेश दिया। अदालत ने किन्नरों की परेशानियों पर गंभीर चिंता जताई, जिसके चलते वह घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जिस्टिस स्वामीनाथन ने तिमलनाडु सरकार से कहा कि वह ट्रांसजेंडर पैदा हुए शिशुओं और बच्चों की सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी करे।
- महाभारत और रामायण जेसे महाकाव्यों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए जज ने कहा कि 'दुल्हन' शब्द का एक स्थिर या अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं हो सकता और उसमें महिला किन्नर (ट्रांसवूमेन) भी शामिल होगी।
- जज ने सरकारी वकील की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि शादी के दिन दुल्हन का मतलब सिर्फ महिला से होता है और दंपत्ति हिंदू विवाह कानून के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, इसलिए रजिस्ट्रार को उनकी शादी को खारिज करने का अधिकार था।
- सुप्रीम कोर्ट ने 'नाल्सा बनाम भारत संघ' मामले में निर्णय दिया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने 'स्व-पहचान लिंग' को तय करने का अधिकार है। जिस्टस स्वामीनाथन ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती

निर्माण IAS निर्माण IAS

निर्माण IAS निर्माण IAS

हैं कि वह सतत जागरूकता अभियान चलाए और लोगों को समझाए कि अगर उनके घर ट्रांसजेंडर बच्चा पैंदा होता है तो वो ना शर्मिंदा हों कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा अपने परिवार के साथ रहने का हकदार है। वर्तमान में आवश्यकता है कि उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए।'

यह निर्णय हिन्दु विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक शब्दों की व्याख्या के लिए नयी पृष्ठभूमि प्रदान करता
है। इसके अनुसार हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा-5 के अनुसार 'दुल्हन' का एक स्थिर या अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं हो सकता।

- इस संदर्भ में वर्तमान निर्णय **LGBTQ** समुदाय के लिए सही मायने में पथ प्रदर्शक है जो नागरिक अधिकारों के संबंध में कानुनों के समान संरक्षण से वंचित है।



निर्माण IAS निर्माण IAS